भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 505
सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

श्रम बल में भागीदारी

505. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**
प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
श्री कृष्णपालसिंह यादवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितनी है और विगत दस वर्षों के दौरान श्रम बल में महिला कामगारों की वर्ष-वार सूची क्या है;

(ख) क्या सरकार की श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विगत पांच वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और असमान वेतन के लिए नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा एकत्र किए जाते हैं। इससे पहले, वर्ष 2010-11 से 2016-17 में श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर सर्वेक्षण (ईयूएस) किया जाता था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में

सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इस प्रकार हैः

वर्ष	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर
ईयूएस, श्रम ब्यूरो		
2011-12	30.0	28.5
2012-13	26.5	25.0
2013-14	31.1	29.6
2015-16	27.4	25.8
2016-17	26.9	25.2
पीएलएफएस, एमओएसपीआई		
2017-18	23.3	22.0
2018-19	24.5	23.3
2019-20	30.0	28.7
2020-21	32.5	31.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम अर्थात पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो की अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज होने के कारण यह तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, मौसम संबंधी श्रम बल को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से अगले वर्ष जून (अर्थात् पूरे वर्ष) तक की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में फील्ड कार्य 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए, पूर्ण मौसम को कवर नहीं किया गया था।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है।

प्रतिष्ठानों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इनका नियमित निरीक्षण करके इस अधिनियम को लागू किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय और राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारें, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण हेतु उपयुक्त प्राधिकरण हैं। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

****